



सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

पटना।

द्वारा -

वित्त विभाग

पटना, दिनांक :-

विषय :- बिहार सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा मुद्रित, छायाप्रति एवं डी0भी0डी0 के माध्यम से
महाशय, आपूर्ति किए जाने वाले राजस्व मानचित्रों के मूल्य निर्धारण के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि राजस्व मानचित्रों के पुनर्उत्पादन में कागज, मुद्रण एवं अन्य सामग्रियों के क्रय मूल्य में वृद्धि के कारण मानचित्रों के बिक्री का दर आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरात सरकार द्वारा नक्शा बिक्री का दर संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है :-

क्रमांक	मानचित्रों का नाम	निर्धारित बिक्री मूल्य
1	2	3
1.	मुद्रित नक्शा	50/- (पच स रूपये)
2.	फोटो प्रति	75/- (पचहत्तर रूपये)
3.	डी0भी0डी0/सी0डी के माध्यम से प्रति नक्शा	100/- (एक सौ रूपये)
		(ब्लैंक (Blank) सी0डी0/डी0भी0डी0 प्राप्त कर)

- यह संशोधित दर तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।
- डी0भी0डी0/सी0डी0 के माध्यम से मानचित्र मात्र डी0पी0आर0 तैयार करने वाले एजेंसियों का ब्लैंक (Blank) सी0डी0/डी0भी0डी0 प्राप्त कर आपूर्ति की जाएगी।
- नक्शा बिक्री से प्राप्त राशि राजस्व बजट शीर्ष - 0029 - थू-राजस्व - लघुशीर्ष - 800 - अन्य प्राप्तियाँ - उपशीर्ष - मानचित्र का बिक्री मूल्य निम्न कोड 0029008000002 में जमा किया जाएगा।

विश्वासभाजन

ह/-

(सी0 अशोकवर्धन)

प्रधान सचिव

क०ग०उ०

ज्ञापांक :- 17-स्था0(नक्शा दर)-980/1995..... पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की एक हजार प्रतियाँ निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार पटना को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह0 / -
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 17-स्था0(नक्शा दर)-980/1995..... 1673 पटना, दिनांक 22/11/11

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना/सभी समाहता एवं उपायुक्त/सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना - 7/ सभी अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव
4/11